न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 68/2013
जसमाल पुत्र रूपल जाति मेव निवासी ग्राम लाडलाका तहसील पहाडी (मृत्तक)
1/1 अलीमौहम्मद
1/2 वलीमौहम्द पिसरान जसमाल
1/3 हसीना
1/4 मनीषा
1/5 वलीसा
1/6 अनीसा पुत्रीयान जसमाल
1/7 असरफी पत्नी जसमाल जाति मेव निवासी ग्राम लाडलाका तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)
2. ग्राम पंचायत लाडलाका जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लाडलाका तहसील पहाडी भरतपुर
3. ग्राम पंचायत सहसन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सहसन तहसील पहाडी भरतपुर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील वादीगण

दिनांक :– 13/12/2021

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 760/0.15 बांके ग्राम लाडलाका तहसील पहाडी में स्थित है विवादित आराजी पर वादीगण का विगत 50–60 वर्षो से पूर्वजों के समय से ही वहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जा है। आराजी रिकॉर्ड में कुंआ दर्ज है लेकिन मौके पर पूर्व से ही कुंआ नहीं है उक्त खसरा नम्बर में वादीगण ने अपनी लागत से एक मकान व कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु चारदीवार बना रखी है तथा पेड पोधे लगे हुये है

Scanned with OKEN Scanner

मुताबिक कब्जा वादीगण आराजी मुत0 पर वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु प्रतिवादीगण व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वादी को आराजी मुत0 पर खातेदार दर्ज नहीं किया है। आज से करीब 10 वर्ष पूर्व तत्कालीन सरपंच लाडलाका व ग्राम वासियों के कहने पर वादीगण ने उक्त आराजी की एवज में एक भूखण्ड खुस्सी पुत्र कल्लू जाति मेव निवासी लाडलाका से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिये अपनी लागत से भूमि दिलाई थी। जिसकी कीमत 50000/–रूपये वादी के तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सदस्यों ने वसूल कर लिये थे और आराजी खसरा नम्बर 760 की बाबत एक सामूहिक बिक्रीनामा 20/–रूपये के स्टाम्प पर वादी के हक में इकरारनामा तहरीर किया था और कहा कि उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी करवा देगे लेकिन आज तक विवादित आराजी की भूमि की वादी के नाम खातेदारी नहीं कराई है जबकि उक्त भूमि का वादी वैधानिक मालिक है। आराजी मुतदाविया से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल कर कब्जा नाजायज कराने की फिराक में है जिसकी बाबत प्रतिवादीगण ने दिनांक 12/06/2013 को ऐलानिया धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को सख्त हकतलफी होगी तथा नुकसान अजीम होगा । जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से ना हो सकेगी। अतः निवेदन है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर वादीगण् को आराजी मुतदाविया पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित आये। प्रतिवादी नं0 1 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है भूमि किस्म गैर0मुम0 चाह है जो कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अतिक्रमी को बेदखल किया जाकर भूमि ग्राम पंचायत को सुपुर्द की जावें तथा दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने इकबाल दावा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी से हम प्रतिवादीगण की वित्तीय प्रकार का कोई सरोकार नहीं है विवादित आराजी वादी के स्वामित्व व अधिकार की है और वादी के स्वामित्व व अधिकार की ही रहेगी। हम वादी द्वारा हमारे समक्ष पेश किये गये कागजात व कब्जे के आधार पर वादी ही उक्त आराजी का हकदार है तथा गांव में जाँच करने पर पाया कि वादी ने खसरा नम्बर 760/0.15 की जमीन के एवज में करीब आज से 10–11 साल पूर्व एक भूखण्ड खुस्सी पुत्र कल्लू जाति मेव निवासी लाडलाका ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये अपनी लागत से भूमि दिलाई थी जिसकी कीमत 50000/–रूपये वादी से तत्कालीन सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्यों ने वसूल कर लिये थे और उक्त खसरा नम्बर की बाबत

Scanned with OKEN Scanner

एक सामूहिक बिक्रीनामा 20/–रूपये के स्टाम्प पर तहरीर किया था । अतः इकबाल दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी खसरा नम्बर 760/0.15 बांके ग्राम लाडलाका पर वादी का 50–60 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है।जिसमें वादी ने कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु दीवार, मकान बना रखे है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया उक्त आराजी की एवज में एक भूखण्ड खुस्सी पुत्र कल्लू से खरीदकर वादी द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये दी गई।

.....वादीगण

तनकी संख्या 3 :– आया वादी द्वारा प्रतिवादीगण को 80 जा0दी0 का नोटिस दिया गया।

.....वादीगण

4 :– दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादीगण में नियत की गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादीगण पेश नहीं करने के कारण दिनांक 17/09/2021 को साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2060–63, 2068, इकरारनामा , प्रार्थना पत्र सरपंच लाडलाका, नकल नोटिस , रसीद रजिस्ट्री, शपथ पत्र समीना पुत्री खुस्सी जाति मेव निवासी लाडलाका तहसील पहाडी पेश किये।

बहस वकील वादीगण की बहस सुनी । वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी खसरा नम्बर 760/0.15 बांके ग्राम लाडलाका पर वादी का 50–60 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। जिसमें वादी ने कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु दीवार, मकान बना रखे है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 760/0.15 ग्राम पंचायत सहसन के नाम दर्ज है। भूमि की किस्म गैर मु0 चाह है। जो कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। वादीगण द्वारा भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये है। जिससे प्रमाणित होता हो कि वादी का आराजी पर 50–60 वर्षो से

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा चला आ रहा है। मुताबिक जवाब तहसीलदार आराजी ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है भूमि किस्म गैर0मुम0 चाह है जो कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अतिक्रमी को बेदखल किया जाकर भूमि ग्राम पंचायत को सुपुर्द की जावें। अतः वादीगण उक्त तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया उक्त आराजी की एवज में एक भूखण्ड खुस्सी पुत्र कल्लू से खरीदकर वादी द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये दी गई।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये है। जिससे प्रमाणित होता हो कि उक्त आराजी की एवज में एक भूखण्ड खुस्सी पुत्र कल्लू से खरीदकर वादी द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये दी गई है। वादी द्वारा एक सामुहिक बिकीनामा प्रस्तुत किया है। जो कि पंजीकृत भी नहीं है। जिसे साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं किया जा सकता है। अतः वादीगण उक्त तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया वादी द्वारा प्रतिवादीगण को 80 जा0दी0 का नोटिस दिया गया।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा दावे करने से पूर्व प्रतिवादीगण को 80 जा0दी0 का नोटिस दिया गया है। अतः वादीगण उक्त तनकी को सिद्ध करने में सफल रहे है। अतः यह तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

दादरसी :–

तनकी संख्या 01 एवं 02 विरूद्ध वादी निर्णित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण काबिले खारिज है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner